राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. क्रिमिनल मिस. (पेट.) संख्या 8597/2022

सुरेश कुमार पुत्र छोगाराम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम खोजास, तह. डीडवाना जिला नागौर. ---- याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से ---- प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री पंकज कुमार गुप्ता

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री विक्रम राजपुरोहित, पीपी

श्री आर.एस. भाटी के साथ

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>02/09/2024</u>

1. याचिकाकर्ता के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 16 और 19/54-ए के तहत अपराधों के लिए पी.एस. लाडनू, जिला नागौर में दिनांक 01.11.2021 को दर्ज एफआईआर संख्या 288/2021 से उत्पन्न आरोप-पत्र संख्या 193/2021 दिनांक 22.12.2021 को रद्द करने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनू, नागौर द्वारा पारित दिनांक 23.12.2021 के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54-ए के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया है। याचिकाकर्ता ने विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनूं, नागौर द्वारा पारित दिनांक 20.10.2022 के एक अन्य आदेश का विरोध किया है, जिसके तहत धारा 451 सीआरपीसी के तहत सुपारी के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

2. याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि 31.10.2021 को पुलिस पार्टी नियमित गश्त के दौरान गुप्त सूचना पर आलम खान नामक व्यक्ति के आवास पर पहुंची, जहां धर्म सिंह, महावीर ठोलिया और बाबूलाल नामक तीन व्यक्ति मिले और परिसर में भारी मात्रा में अवैध शराब भी रखी हुई थी। बताया गया है कि पुलिस पार्टी ने क्षेत्र में खड़ी एक बोलेरो कैंपर गाड़ी भी बरामद की, जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी। जांच के दौरान उसे जब्त कर लिया गया।

2.1 जांच के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54-ए के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसके बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54-ए के तहत अपराध का संज्ञान लिया, जिसके तहत 23.12.2021 का आदेश जारी किया गया।

2.2. ट्रायल के दौरान, याचिकाकर्ता ने, मालिक होने के नाते, कथित अपराधी वाहन को छोड़ने के लिए धारा 451 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन भी दायर किया, जिसे 22.10.2022 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया। इसलिए, यह याचिका।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता और विद्वान लोक अभियोजक के विद्वान वकील को सुना है और मामले की फाइल का अवलोकन किया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का सार यह है कि सह-आरोपियों के हिरासत में दिए गए बयानों के अलावा, जिसके तहत उन्होंने याचिकाकर्ता को केवल इस आधार पर फंसाया कि वह बोलेरो कैंपर वाहन का मालिक है, जिसका उपयोग पुलिस अधिकारियों द्वारा जब्त की गई अवैध शराब के परिवहन के लिए किया जाना था, उसे आरोपी के रूप में पेश करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है।

5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि हिरासत में दिए गए बयानों के अलावा, पूछताछ के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा खोजा गया एक भी सबूत नहीं है। वह पप्पू सिंह बनाम राजस्थान राज्य और अन्य [2022(4) Cr.L.R. (राज.) 1761] के मामले में दिए गए इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा करते हैं कि हिरासत में दिए गए बयानों के आधार पर अकेले याचिकाकर्ता को मामले में फंसाने के लिए किसी भी स्वतंत्र पुष्टि साक्ष्य के बिना आरोपी के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है।

6. इसके विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की उपरोक्त दलीलों का विरोध करेंगे और याचिका को खारिज करने की मांग करेंगे। उनका कहना है कि यह कहना गलत है कि कोई अन्य पुष्टि करने वाला साक्ष्य नहीं है। उनका तर्क है कि अवैध शराब को तब जब्त किया गया था जब वह अपराधी वाहन यानी बोलेरो कैंपर में भरी हुई थी। इसलिए, वाहन का मालिक होने के नाते, चूंकि पूछताछ के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं आया है कि उसके वाहन का इस्तेमाल क्यों किया गया, इसलिए उसे सही तरीके से आरोपी बनाया गया है।

7. केस फाइल का अवलोकन करने और प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद, मेरा मानना है कि विद्वान लोक अभियोजक की दलील तथ्यात्मक रूप से गलत है। यह एफआईआर की सामग्री के विपरीत है, जो कि सबसे पहला बयान है और यह पता लगाने के लिए कि अवैध शराब वाहन से बरामद की गई थी या किसी वैकल्पिक स्थान से, इसे सत्य के सबसे करीब ले जाना होगा। एफआईआर में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि तलाशी के समय संबंधित वाहन को जब्त किया गया था और उसमें अवैध शराब भरी हुई थी। बाद में पूछताछ के दौरान यह पाया गया कि बोलेरो कैंपर वाहन परिसर के पास ही खड़ा था, जिसकी तलाशी ली गई और इस कथन के साथ कि बोलेरो कैंपर वाहन का इस्तेमाल उक्त शराब के परिवहन के लिए किया जाना था, याचिकाकर्ता को उक्त वाहन का मालिक होने के नाते फंसाया गया है।

8. इस प्रकार जो कुछ घटित हुआ वह इस प्रकार है:

(i) याचिकाकर्ता के विरुद्ध एकमात्र साक्ष्य सह-आरोपी का हिरासत में लिया गया बयान है।

(ii) उपरोक्त कथन के अतिरिक्त, याचिकाकर्ता के दोषी होने का सुझाव देने के लिए किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है।

(iii) पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई तलाशी के समय याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया था।

(iv) एफआईआर की विषय-वस्तु के अनुसार, अवैध शराब आलम खान के परिसर से जब्त की गई थी, वाहन से नहीं।

(v) विचाराधीन वाहन को भी तलाशी के समय जब्त नहीं किया गया था, बल्कि बाद में सह-आरोपी के बयान पर जब्त कर लिया गया था।

9. संक्षेप में, न तो विचाराधीन वाहन का उपयोग अवैध शराब ले जाने में किया गया था और न ही एफआईआर में याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य है। इस संदर्भ में साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें निम्न प्रकार से कहा गया है: "25. पुलिस अधिकारी के समक्ष स्वीकारोक्ति साबित नहीं की जाएगी। किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई स्वीकारोक्ति साबित नहीं की जाएगी।"

10. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों के समक्ष की गई स्वीकारोक्ति का उपयोग किसी आरोपी के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। चूंकि एकमात्र साक्ष्य सह-आरोपी का हिरासत में दिया गया बयान है, जो न्यायालय में अस्वीकार्य है, इसलिए याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र में कोई कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है। परिणामस्वरूप, सामान्य कानून यह है कि सह-आरोपी का हिरासत में दिया गया बयान किसी अन्य आरोपी के विरुद्ध किसी भी साक्ष्य को प्रमाणित करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है और किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पुष्ट करने वाले साक्ष्य के अभाव में याचिकाकर्ता उसका लाभ पाने का हकदार है। यह देखते हुए कि हिरासत में दिए गए बयान ही एकमात्र सबूत हैं, "फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ऑम्निबस" (एक बात में झूठ, हर चीज में झूठ) के सिद्धांत को लागू करते हुए, हिरासत में दिए गए बयानों की अविश्वसनीयता याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले की पूरी बुनियाद पर सवाल उठाती है।

11. इसके अलावा, बिना किसी स्वतंत्र या पुष्टिकारक साक्ष्य के केवल सह-आरोपी के हिरासत में दिए गए बयानों के आधार पर याचिकाकर्ता का अभियोजन, याचिकाकर्ता के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के

अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी शामिल है। पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव का मतलब है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले में आवश्यक कानूनी और तथ्यात्मक आधार का अभाव है। पुलिस अधिकारियों के सामने दिए गए इकबालिया बयान अस्वीकार्य हैं, इसलिए ऐसे बयान अभियोजन का आधार नहीं बन सकते।

12. इसके अलावा, याचिकाकर्ता उस समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था जब अवैध शराब जब्त की गई थी। वाहन को किसी अन्य व्यक्ति (आलम खान) के परिसर के पास पार्क किया गया था, तथा ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है जो याचिकाकर्ता की अवैध शराब के परिवहन में संलिप्तता या वाहन के अवैध उपयोग के लिए उपयोग को दर्शाता हो। वाहन का केवल मालिक होना यह स्थापित नहीं करता कि याचिकाकर्ता के पास अवैध शराब थी या उसका नियंत्रण था। राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए केवल स्वामित्व ही पर्याप्त नहीं है, जिसके लिए सक्रिय भागीदारी या जानकारी की आवश्यकता होती है।

13. इस आधार पर, केवल कमजोर और अस्वीकार्य साक्ष्य के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य के बिना कानूनी प्रणाली का उपयोग व्यक्तियों को परेशान करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

14. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाता है, जिसमें याचिकाकर्ता को दोषी ठहराने के लिए दायर दिनांक 22.12.2021 का आरोप-पत्र और दिनांक 23.12.2021 का आदेश शामिल है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध कथित अपराधों का संज्ञान लिया गया है। विचाराधीन वाहन को भी विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों पर सुपुर्दगी पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

15. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाएगा।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।